सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd1235@gmail.com

क्रमांक: एफ 4 (53) पराविं/पीसी/जजयो /क्रियान्यन/2012/ 1296 जयपुर दिनांक: 20.06.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्–समस्त।

विषयः–ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित जनता जल योजना में कार्यरत अंशकालीन पम्प चालको के न्यूनतम मजदूरी दर अनुसार भुगतान करने बाबत्।

संदर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1030 दि. 28.04.17, 1489 दि. 07.06.17, पत्रांक 2345 दि.18.08.17, पत्रांक 2351 दि. 21.08.17, पत्रांक 2399 दि. 29.08.17, पत्रांक 2482 दि. 06.09.17, पत्रांक 2538 दि. 12.09.17 एवं पत्रांक 1987 दि. 07.06.18

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 11355/2013, 11356/2013, 11357/2013, 11364/2013, 11365–11366/2013 में दिनांक 21.09.16 को पारित निर्णय एवं मा0 उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15098/2012, 5613/2013, 7663/2013, 8079/2013 एवं 19253/2013 में दिनांक 21.09.2016 को पारित निर्णय की पालना में जनता जल योजना के पम्प चालको को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर राशि दिये जाने के आदेश उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किये हुये है।

इसके उपरांत भी मुख्यालय को यह सूचना प्राप्त होती रही है कि श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा नही दिया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान नहीं होने के कारण मा0 न्यायालय में वाद/अवमानना याचिकाएं दायर हुई है।

पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में आपसे अनुरोध है किः–

1. जनता जल योजना में कार्यरत् पंप चालकों को श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.2019 के अनुसार जनता जल योजना के पम्प चालको को न्यूनतम मजदूरी दर (वर्तमान में राशि रू. 225/– प्रतिदिन) का भुगतान माह की 5 तारीख तक बैंक खाते में ऑनलाईन/आरटीजीएस से जमा कराना सुनिश्चित करावें।
2. भविष्य में श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने पर संशोधित दर से भुगतान किया जावे। प्रत्येक बढ़ी हुई दर से भुगतान की अनुमति के कम में मुख्यालय से पुनः आदेश जारी होना अपेक्षित नही है।
3. ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में पम्प चालक द्वारा संधारित लॉग बुक प्राप्त की जावे।

D:\PCS\JJY.docx

Scanned by CamScanner

4. पम्प चालकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जावे एवं उस दिन योजना का संचालन स्थानीय समुदाय अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
5. आप द्वारा प्रत्येक समीक्षात्मक बैठक में इन निर्देशों की क्रियान्विती की संवीक्षा की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
6. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता

D:\PCS\JJY.docx

Scanned by CamScanner